सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 14, शुक्रवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2023

संख्या प.10(33)कृषि/ग्रुप-2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 21.04.1977 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा की स्थापना की गई थी।

अब चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति, नोखा द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम जसरासर में गौण मण्डी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम जसरासर मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में - विवेकानन्द विद्याश्रम तक
पश्चिम में - तर्ड पेट्रोल पम्प तक
उत्तर में - मुन्नीराम सुथार की ढाणी तक
एवं दक्षिण में - भास्कर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल तक

गौण मण्डी यार्ड जसरासर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4885

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।